न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–422/2026

कम्प्यूटर संख्या–747/2026

CNR NO-UPBR01-002954-2026

प्रदीप पुत्र शिवप्रकाश उर्फ सत्यप्रकाश, निवासी ग्राम बेहटा बुजुर्ग थाना विशारतगंज, जिला बरेली। .....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———— अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–117/2025
धारा–80(2), 85, 115(2) बी0एन0एस0
एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना विशारतगंज, जिला बरेली।

दिनांक: 10.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप की ओर से, जो कि मुकदमा अपराध सं0 117/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 115(2) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना विशारतगंज, जिला बरेली में न्यायिक अभिरक्षा में है, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दिया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने मृतका से कभी दहेज की मांग नहीं की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के पति प्रदीप, ससुर सत्यप्रकाश, सास कमला, देवर नरेश व आकाश को नामजद किया गया है। वादी ने अपने बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में भी अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना कहा है जबकि दिनांक 09.07.25 को वादी मुकद्मा ने अपने मजीद बयान में अभियुक्त प्रदीप के अलावा अन्य के विरूद्ध बयान नहीं दिया है। पीडिता की शादी को सात वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। मृत्यु से पहले उसके विरूद्ध किसी तरह का साक्ष्य नहीं है। घटना की तहरीर तीन दिन देरी से दी गयी जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त व अभियोजन पक्ष मृतका के अन्तिम संस्कार व पोस्टमार्टम आदि के समय मौजूद थे। मृतका उसे पसन्द नहीं करती थी जिस कारण वह अधिक से अधिक समय तक मायके में रहती थी, इस बावत मृतका के भाईयो ने भी उसे मृत्यु के 2–3 दिन पूर्व डांटा था, जिसके अवसाद के कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह कहते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85, 80(2), 115(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2026 को आरोप विरचित किये गये। अभियोजन की ओर से आरोपों को सिद्ध करने के लिए पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकद्मा, पी0डब्लू0–2 पंचायतनामा के गवाह, पी0डब्लू0–3 पंचायतनामा लेखक नायब तहसीलदार, पी0डब्लू0–4 चिक लेखक तथा पी0डब्लू0–5 मृतका के शव का विच्छेदन करने वाले डाक्टर को परीक्षित कराया जा चुका है। सभी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान में यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार है कि उसके द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकद्मा गीता ने इस आशय की दर्ज करायी कि उसकी बेटी की रेशमा उम्र 25 वर्ष की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व प्रदीप गोस्वामी के साथ हुई थी। रेशमा ने दो बच्चो को जन्म दिया तीन साल की बेटी व दो साल बेटा शिवांश है। शादी में जो दान दहेज दिया उसे प्रदीप ने शराब के नशे के लिए बेच दिया तथा आये दिन शराब पीकर रेशमा के साथ दहेज लोने को लेकर मारपीट करता था। प्रदीप, उकसे पिता सत्यप्रकाश, मां कमला, देवर नरेश व आकाश रेशमा से मायके से पचास हजार रूपये

लाने का दबाव बनाते थे, उसके साथ मारपीट व उत्पीडन करते थे। वह घटना से दस दिन पहले ससुराल आयी थी। दिनांक 27.05.25 की शाम उपरोक्त सभी लोगों ने रेशमा के साथ मारपीट की दिनांक 28.05.28 की सुबह प्रदीन ने फोन पर रेशमा के मौत की खबर दी। जब वह बेहटा पहुंची तो रेशमा का शव चारपाई पर पडा था। जिसके समर्थन में अभियोजन की ओर से वादिनी मुकद्मा श्रीमती गीता को परीक्षित कराया जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानो में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

6. मृतका रेशमा के शव का पंचायतनामा दिनांकः 28.05.25 को तैयार किया गया, जिसे पी0डब्लू0–2 भगवान दास ने पंचायतनामा तथा पी0डब्लू0–3 नायब तहसीलदार रजनीश सक्सेना ने पंचायतनामा तैयार किया है तथा मृतक के शव को आवश्यक पुलिस प्रपत्रों के साथ शव विच्छेदन हेतु शव विच्छेदन गृह भेजा गया। पी0डब्लू0–5 डा0 अयूब राठौर ने मृतका के शव का शव विच्छेदन किया और यह बताया कि मृतका की मृत्यु का कारण Antemortem hanging था। मृतका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में होना दर्शित है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7. प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति अभियुक्त/आवेदक की उक्त अपराध में संलिप्तता तथा उसके कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं पाता है। अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0–117/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 115(2) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना विशारतगंज, जिला बरेली में निरस्त किया जाता है।

(तबरेज अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट बरेली।
J.O .Code N0. UP-6298

Digitally signed by Tabrez Ahmad
Date: 2026.03.10 15:15:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court